वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र में सभी प्रकार के यार्न के प्रवेश पर अधिनियम के अधीन संदेय कर से दिनांक 08.03.2016 से निम्नलिखत शर्तों पर इसके द्वारा, छूट देती है:-

(i) कि ऐसे यार्न को प्राप्त करने वाले व्यवहारी या व्यक्ति ने किसी व्यवहारी या व्यक्ति के साथ, जिसका कार्यालय राज्य से बाहर है, ऐसे यार्न पर जॉब वर्क के लिए करार किया है;

(ii) कि ऐसा यार्न उक्त करार के अनुसरण में जॉब वर्क के लिए अनन्य रूप से राज्य के बाहर से स्थानीय क्षेत्र में लाया गया है; और

(iii) कि ऐसे यार्न को प्राप्त करने वाला व्यवहारी या व्यक्ति इस प्रकार प्राप्त किये गये यार्न और ऐसे यार्न से विनिर्मित तैयार माल को उस व्यवहारी या व्यक्ति, जिससे उसने यार्न प्राप्त किया है, को वापस भेजने के ब्यौरे आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान द्वारा विहित की गयी रीति में प्रस्तुत करेगा।

पूर्व में निक्षिप्त कर, शास्ति और ब्याज की किसी रकम, यदि कोई, का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-97]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by section 9 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No.13 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with effect from 08.03.2016, exempts from tax payable under the Act on entry of all kinds of yarn into any local area of the State on the following conditions:-

(i) that the dealer or person receiving such yarn has made an agreement for job work on such yarn with any dealer or person having its office outside the State;

(ii) that such yarn is brought into the local area from outside the State exclusively for job work in pursuance of the said agreement; and

(iii) that the dealer or person receiving such yarn shall furnish the details of the yarn so received and finished goods manufactured from such yarn sent back to the dealer or person from whom he has received the yarn, in the manner as prescribed by the Commissioner, Commercial Taxes, Rajasthan.

Any amount of tax, penalty and interest, if any, already deposited shall not be refunded.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-97]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government